## अध्याय-7

## चयनित क्षेत्रों के निर्वहन में हस्तांतरण

लेखापरीक्षा ने यह निर्धारण करने के लिए पांच क्षेत्रों (जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संपत्ति कर और जल प्रभार) का चयन किया कि क्या शहरी स्थानीय निकाय इन कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त थे। इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 7.1 जल आपूर्ति

#### (i) जल आपूर्ति गतिविधियों की सुपुर्दगी के लिए शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 277-ए में प्रावधान है कि राज्य सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंप सकती है। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगर निगम, फरीदाबाद को छोड़कर नगरपालिकाओं के मुख्य कार्यों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित किया (अप्रैल 1993)। इसके बाद, राज्य सरकार ने मुख्य कार्यों को वापस तीन अन्य नगर निगमों अर्थात गुरुग्राम (2013 से), करनाल और सोनीपत (2018 से) को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान में 87 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल चार शहरी स्थानीय निकाय अपने संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में जल आपूर्ति और सीवरेज से सम्बन्धित गतिविधियां कर रहे हैं और शेष नगरपालिकाओं में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल और सीवरेज प्रभारों के संग्रहण सहित इन गतिविधियों को किया जाता है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

#### (ii) नगर निगम, करनाल को जल आपूर्ति गतिविधि का आबंटन

##### *(क) पर्याप्त तकनीकी श्रमशक्ति उपलब्ध न कराना*

राज्य सरकार ने नगर निगम, करनाल को गतिविधियां हस्तांतरित करते समय नौ[1] तकनीकी अधिकारियों, जो जल और सीवरेज सेवाओं की देख-रेख कर रहे थे, को भेजने का निर्णय लिया (सितंबर 2018) और इनके संचालन एवं रखरखाव हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से नगर निगम, करनाल में एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर 167 नियमित यांत्रिक स्थापना कर्मचारी तैनात किए गए थे।

नगर निगम, करनाल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ऊपर उल्लिखित अधिकारियों और नियमित यांत्रिक स्थापना कर्मचारियों के विरुद्ध केवल छः[2] तकनीकी अधिकारियों और 144 नियमित यांत्रिक स्थापना कर्मचारियों को स्थानांतरित किया। आगे यह देखा गया था कि दिसंबर 2020 तक, नगर निगम में जल आपूर्ति और सीवरेज की गतिविधियों की देखरेख करने वाले केवल दो कनिष्ठ अभियंता और 11

[1] कार्यकारी अभियंता: 1, उप-मंडल अभियंता: 2 और कनिष्ठ अभियंता: 6

[2] कार्यकारी अभियंता: 1, उप-मंडल अभियंता: 2 और कनिष्ठ अभियंता: 3

नियमित यांत्रिक स्थापना कर्मचारी थे और नियमित यांत्रिक स्थापना कर्मचारियों सहित शेष तकनीकी श्रमशक्ति को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वापस भेज दिया गया है। नगर निगम की मौजूदा तकनीकी श्रमशक्ति को इस कार्य को देखने के लिए कार्यकारी अभियंता और उप-मंडल अभियंता का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। इसके अलावा, नगर निगम, करनाल ने नियमित यांत्रिक स्थापना कर्मचारियों के विरूद्ध आउटसोर्सिंग के आधार पर अतिरिक्त श्रमशक्ति को कार्य पर रखा है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि भर्ती द्वारा श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

### *(ख) विषय समिति का गठन न करना*

हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित हरियाणा नगर निगम व्यापार उप-नियम, 2009 के उप-नियम 22 में जल आपूर्ति, सीवरेज एवं जल निकासी एवं संबद्ध कार्यों के लिए योजनाएं/प्रस्ताव तैयार करने, जल की मौजूदा खपत एवं मांग के लिए सर्वेक्षण करने तथा भविष्य की जल आपूर्ति आवश्यकताओं के लिए अनुमान तैयार करने, जल आपूर्ति की पूर्णता का पता लगाने और जल आपूर्ति सीवरेज स्टाफ में नियमित जांच करने इत्यादि के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज पर तदर्थ समिति के गठन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, करनाल ने न तो किसी तदर्थ समिति का गठन किया था और न ही भविष्य में जल आपूर्ति आवश्यकताओं के लिए अनुमान तैयार करने के लिए कोई योजना तैयार की/सर्वेक्षण किया। मार्च 2020 तक नगर निगम, करनाल की नगरपालिका सीमा के भीतर 1.40 लाख घर हैं और जल आपूर्ति के लिए केवल 0.41 लाख कनेक्शन हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि नगर निगम, करनाल द्वारा विषय समिति का गठन न करने के कारण पूछे गए हैं।

### *(ग) समग्र नगरपालिका क्षेत्र को शामिल न करना*

राज्य सरकार के निर्देशों (मार्च 2016) के अनुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जल आपूर्ति, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, स्ट्रीट लाइट एवं सड़कों आदि के रखरखाव के लिए नगर निगम, करनाल के नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले 14 विकसित सेक्टरों को इसे हस्तांतरित कर दिया। हालांकि, नगर निगम, करनाल ने इन सेक्टरों में जल आपूर्ति और सीवरेज के कार्यों को अपने पास लेने में असमर्थता व्यक्त की (अक्तूबर 2016)। आगे यह देखा गया कि सितंबर 2018 में समग्र नगरपालिका क्षेत्र के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नगर निगम, करनाल को कार्य के हस्तांतरण के बाद भी इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित कार्यों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

### *(घ) बजटीय सहायता प्रदान न करना*

जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेद 7.5 में चर्चा की गई है, नगर निगम, करनाल की जल आपूर्ति पर की गई अपनी संचालन एवं रखरखाव लागत को वसूल करने में सक्षम नहीं है क्योंकि जल

प्रभारों की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने नगर निगम, करनाल को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की, इस तथ्य के बावजूद कि यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राज्य बजट के माध्यम से कार्य के हस्तांतरण से पहले प्रदान की गई थी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यद्यपि राज्य सरकार ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुपालन में जल आपूर्ति के मुख्य कार्य को देरी से नगर निगम को हस्तांतरित किया लेकिन जल आपूर्ति के कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए नगर निगम को पदाधिकारियों और निधियों के मामले में पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, इस कार्य के लिए नगरपालिका क्षेत्र के सीमित कवरेज को देखते हुए कार्य के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

***सिफारिश: संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति और सीवरेज गतिविधियों को हस्तांतरित करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए। राज्य सरकार द्वारा कार्य के लिए पर्याप्त तकनीकी श्रमशक्ति, अपेक्षित उचित योजना प्रदान की जानी चाहिए।***

## 7.2 जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

### (i) जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता गतिविधियों हेतु शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 132 से 143 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 193 से 215 में सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्रावधान है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 144 से 149 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 287 से 302 और हरियाणा नगरपालिका (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य) उप-नियम, 1976 निवासियों को खतरनाक/संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए नगरपालिका द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों से संबंधित है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 275 से 279 के अंतर्गत बनाए गए नियम[3] सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों और उन्हें साफ एवं उचित स्थिति में रखने का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हरियाणा नगर व्यापार उप-नियम, 1981 में प्रावधान है कि नगर चिकित्सा अधिकारी, समिति के स्वच्छता, जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विभागों के प्रभारी होंगे। वे नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्वच्छता की स्थिति का पर्यवेक्षण करेंगे और संक्रामक रोग या ऐसी बीमारी के संभावित प्रकोप के संबंध में कीटाणुशोधन की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

जैसा कि अनुच्छेद 7.1 (i) में चर्चा की गई है, केवल चार[4] शहरी स्थानीय निकाय अपने संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में जल आपूर्ति और सीवरेज गतिविधियां कर रहे थे और शेष नगरपालिकाओं में सीवरेज का कार्य शहरी स्थानीय निकायों की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग राज्य में अस्पतालों एवं औषधालयों का

[3] हरियाणा नगरपालिका शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण एवं रखरखाव नियम, 1976

[4] नगर निगम: फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और सोनीपत।

रखरखाव करता है और प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण करता है। हालांकि, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, उनके रखरखाव और संक्रामक रोग से प्रभावित इलाकों की कीटाणुशोधन सहित स्वच्छता संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के 10 नगर निगमों में चिकित्सा अधिकारी के 10 संस्वीकृत पद थे, जिनके विरुद्ध जनवरी 2020 तक केवल एक चिकित्सा अधिकारी (नगर निगम, गुरुग्राम) कार्यरत थे। नगर परिषद/नगरपालिका में किसी भी चिकित्सा अधिकारी या पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए कोई संस्वीकृत पद नहीं था। इसी प्रकार, राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता विशेषज्ञ/दक्ष तथा सफाई कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी जैसा कि अनुच्छेद 5.2.2 और 5.2.3 में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जांच किए गए सभी शहरी स्थानीय निकायों में से केवल एक शहरी स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, करनाल अपने प्रशासनिक नियंत्रण में एक औषधालय चला रहा था तथा उसमें एक फार्मासिस्ट और एक सफाई कर्मचारी तैनात था, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा तकनीकी श्रमशक्ति अर्थात् एक डॉक्टर, एक लैब तकनीशियन, एक स्टाफ नर्स और छः सहायक नर्सिंग मिडवाइफ की प्रतिनियुक्ति की गई थी। नगर निगम, करनाल ने दो स्टाफ सदस्यों के वेतन के अलावा इस औषधालय के संचालन के लिए कोई व्यय नहीं किया था।

### (ii) राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति-2008 के लिए राज्य सरकार को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित शहरी स्थानीय निकाय को उत्तरदायित्व सौंपना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शहरी स्वच्छता रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता है और जहां कार्यभार आंशिक या अधूरा है, राज्यों को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय के लिए आवश्यक वित्तीय और कार्मिक संसाधनों के साथ-साथ शक्तियों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को विकसित करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों को उन एजेंसियों को भी व्यापक अधिकार देने होंगे जो वर्तमान में शहर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को अंजाम देती हैं जो सीधे उनके, अर्थात् पैरास्टेटल्स और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया (अक्तूबर 2014)। स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति-2008 में इंगित किए गए अनुसार प्रत्येक शहर के लिए उचित शहर स्वच्छता योजना[5] और राज्य स्वच्छता रणनीति के बिना स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति-2008 और स्वच्छ भारत

[5] शहर की स्वच्छता योजना में सभी पहलुओं जैसे कि उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ स्वच्छता के लिए जिम्मेदार संस्थानों/संगठनों के विकास की योजना, संबंधित संचालन एवं रखरखाव प्रणाली के साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए 100 प्रतिशत स्वच्छता पहुंच सुनिश्चित करने की योजना, सैनिटरी कचरे के सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार की योजना और अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय पहलुओं के लिए योजनाओं को शामिल किया गया है।

मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार इस मुख्य नगरपालिका कार्य को करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक वित्तीय एवं कार्मिक संसाधनों के साथ-साथ पूर्ण शक्तियों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को हस्तांतरित करने के लिए कोई राज्य स्वच्छता रणनीति तैयार नहीं की। आगे, केवल दो[6] शहरों ने अपनी शहर स्वच्छता योजना तैयार की। यह भी देखा गया था कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण (अर्थात् स्वच्छ सर्वेक्षण 2020) में राज्य रैंकिंग में राज्य को आठवां स्थान मिला था और कुल 6,000 अंकों में से 1,678.7 अंक[7] प्राप्त किए थे।

इस प्रकार, राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए आवश्यक कार्मिक संसाधनों के साथ-साथ शक्तियों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को हस्तांतरित करने में विफल रही। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित अधिकांश कार्यों का निर्वहन राज्य सरकार के विभागों द्वारा किया जा रहा था। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शहर स्वच्छता योजना के माध्यम से और राज्य सरकार के स्तर पर राज्य स्वच्छता रणनीति के माध्यम से आगे की व्यापक योजना तैयार नहीं की गई थी जैसा कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008 और स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों में परिकल्पित था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

## 7.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

### (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुपुर्दगी में शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण

भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार, राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना से एक वर्ष के भीतर शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से राज्य के लिए एक राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करनी थी। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से छ: महीने के भीतर एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करनी थी और इसकी एक प्रति शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत करनी थी।

इसके अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के अंतर्गत अपेक्षित राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति (नीति) तैयार की (जुलाई 2018)। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार शहरी स्थानीय निकाय स्तर की योजनाएं भी तैयार कीं। समूह-वार योजना शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा बनाई गई थी, न कि व्यक्तिगत शहरी स्थानीय निकाय द्वारा, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को कमजोर करती है।

नीति ने पीपीपी मोड के अंतर्गत समूह आधारित दृष्टिकोण पर राज्य स्तरीय एकीकृत ठोस

---

6 पंचकुला और रोहतक।

7 शहरों के सहायता में निष्पादन: 1,800 में से 978.3 अंक, कचरा मुक्त स्टार रेटिंग खुले में शौचमुक्त में निष्पादन: 1,800 में से 500 अंक और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में निष्पादन: 2,400 अंकों में से 280.4 अंक।

अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना निर्धारित की। तदनुसार, पूरे राज्य को 14 समूहों में विभाजित किया गया था।

14 समूहों में से चार[8] समूहों में अपशिष्ट से ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकी पर राज्य स्तरीय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना बनाई गई थी, जबकि शेष 10 समूहों[9] में अपशिष्ट से खाद और रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल[10] पर आधारित प्रौद्योगिकी की योजना बनाई गई थी। इन 14 समूहों में से केवल दो समूहों अर्थात् गुरुग्राम-फरीदाबाद और सोनीपत-पानीपत पर शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा पीपीपी मोड के अंतर्गत विचार किया गया था (अप्रैल 2017) और प्रक्रियाधीन था (अक्तूबर 2020)। शेष समूहों पर निजी बोलीदाताओं से पर्याप्त प्रतिक्रिया की कमी के कारण विचार नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने शेष 12 समूहों को 11 समूहों में पुनर्गठित किया (जुलाई 2020) और पीपीपी मोड के अंतर्गत खुली प्रौद्योगिकी (कचरा से कम्पोस्ट, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, बायो-मिथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा या कोई अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी) पर इन समूहों की पुन:निविदा करने का निर्णय लिया।

वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों ने औसतन 5,232 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न किया। जिसमें से, शहरी स्थानीय निकाय 4,809 टन प्रतिदिन (92 प्रतिशत) एकत्रित कर सके और एकत्रित ठोस अपशिष्ट के 1,621 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट (34 प्रतिशत) का प्रसंस्करण/उपचार कर सके। 3,188 टन प्रतिदिन के शेष ठोस अपशिष्ट को सैनिटरी लैंडफिलिंग[11] की प्रणाली का पालन किए बिना विभिन्न डंप साइटों पर फेंक दिया गया था। 1,540 वार्डों में से 1,439 वार्डों (93 प्रतिशत) में घर-घर जाकर संग्रहण किया जा रहा था और 988 वार्डों (64 प्रतिशत) में ठोस कचरे का स्रोत पृथक्करण प्राप्त किया गया था। राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए चार सामान्य सैनिटरी लैंडफिल स्थल थे, तथापि, वे क्रियात्मक नहीं थे।

इस प्रकार, उपर्युक्त से यह स्पष्ट था कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुख्य शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों में नीति एवं रणनीति निर्माण, निविदाकरण एवं प्रौद्योगिकी चयन में राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की प्रमुख भूमिका है तथा शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहे हैं। यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को कमजोर करती है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

---

8 (i) गुरुग्राम-फरीदाबाद, (ii) अंबाला-करनाल, (iii) रोहतक और (iv) सोनीपत-पानीपत।

9 (i) जींद, (ii) हिसार, (iii) डबवाली-सिरसा, (iv) रेवाड़ी, (v) पंचकुला, (vi) भिवानी, (vii) यमुनानगर, (viii) पुन्हाना, (ix) फरुखनगर और (x) फतेहाबाद।

10 इसका अर्थ है प्लास्टिक, लकड़ी, लुगदी जैसे ठोस अपशिष्ट के दहनशील अपशिष्ट अंश या ठोस अपशिष्ट के सुखाने, छांटने, निर्जलीकरण एवं संघनन द्वारा उत्पादित पेल्लेट या फ्लफ के रूप में क्लोरीनयुक्त सामग्री के अलावा कार्बनिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन।

11 इसका अर्थ है भूजल, सतही जल और हवा की धूल, हवा से उड़ने वाले कूड़े, दुर्गंध, आग के खतरे, जानवरों के खतरे, पक्षियों के खतरे, कीट या कृंतक, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, लगातार कार्बनिक प्रदूषक ढलान अस्थिरता और क्षरण के विरूद्ध सुरक्षात्मक उपायों के साथ तैयार की गई सुविधा में भूमि पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट एवं निष्क्रिय कचरे का अंतिम और सुरक्षित निपटान।

***सिफारिश: शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य की सभी गतिविधियों में नीति और रणनीति निर्माण में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।***

## 7.4 संपत्ति कर

भूमि और भवनों पर संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व का मुख्य स्रोत है और 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान यह स्वयं के राजस्व का 39.60 प्रतिशत है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 (धारा 84 के साथ पठित) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 87 (धारा 149 के साथ पठित) के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित भवनों या खाली भूमि पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 से हरियाणा नगरपालिका अधिनियम और हरियाणा नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया (2012) और तदनुसार, वार्षिक मूल्य के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था तथा यह विभिन्न भूखंडों के आकार, शहर जिसमें भवन या भूमि स्थित है (चार श्रेणियां अर्थात ए1, ए2, बी, सी शहर), इसके उपयोग के उद्देश्य (अर्थात आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक इत्यादि) के लिए निर्दिष्ट विभिन्न निश्चित दरों के आधार पर उद्ग्राह्य था। लेखापरीक्षा ने राज्य में मौजूद संपत्ति कर प्रणाली में निम्नलिखित कमियों को अवलोकित किया:

- यद्यपि संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार शहरी स्थानीय निकायों के पास निहित है, दरों और उनके संशोधन, संग्रहण की प्रक्रिया, छूट, रियायत आदि से संबंधित शक्तियां राज्य सरकार के पास निहित थीं। इस प्रकार, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के पास स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने में पूर्ण स्वायत्तता का अभाव था।
- 13वें वित्त आयोग ने संपत्ति कर का निर्धारण करने, शहरी स्थानीय निकायों की सभी संपत्तियों की गणना करने और संपत्ति कर प्रणाली की समीक्षा/संशोधन के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक संपत्ति कर बोर्ड के गठन की सिफारिश की (दिसंबर 2009)। तथापि, राज्य सरकार ने 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में कोई संपत्ति कर बोर्ड स्थापित नहीं किया है। परिणामस्वरूप, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के पास इस संबंध में संपत्ति कर के निर्धारण, संशोधन और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी तंत्र का अभाव था।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की (अक्तूबर 2007) कि सभी शहरी स्थानीय निकाय समयबद्ध ढंग से संपत्ति कर के निर्धारण के लिए इकाई क्षेत्र पद्धति[12] या पूंजीगत मूल्य पद्धति[13] को अपनाएं ताकि संपत्ति कर में उछाल आए। राज्य सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित किसी भी पद्धति को नहीं अपनाया

[12] इकाई क्षेत्र पद्धति संपत्ति कर के निर्धारण के लिए संपत्ति के विभिन्न मापदंडों/कारकों (अर्थात स्थान कारक, संरचनात्मक कारक, आयु कारक, अधिभोग कारक, उपयोग कारक आदि) को लेती है और कर की दर में संशोधन के बिना मापदंडों/कारकों के समय-समय पर संशोधन द्वारा कुछ हद तक कर उत्प्लावकता की समस्या को हल करती है।

[13] पूंजीगत मूल्य पद्धति के अंतर्गत संपत्ति कर का निर्धारण संपत्ति के लिए निर्धारित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है।

और शहरी स्थानीय निकाय अक्तूबर 2013 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न भूखण्डों के आकार, उद्देश्य एवं नगर के लिए विनिर्दिष्ट विभिन्न नियत दरों पर संपत्ति कर एकत्र कर रहे थे। क्षेत्र आधारित संपत्ति कर अपेक्षाकृत स्थिर हो जाता है चूंकि यह संपत्ति की कीमतों में परिवर्तन के लिए कर की दर में संशोधन के लिए अनुत्तरदायी है और संपत्ति कर में वृद्धि का एकमात्र स्रोत संपत्तियों की संख्या में वृद्धि है। इसलिए, संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में राज्य में संपत्ति कर में उछाल नहीं था। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ रहे।

- हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 97 से 100 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 76 से 81 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में सभी भूमि और भवनों की संपत्ति सूची तैयार करना और संपत्ति कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए समय-समय पर इसके विवरण में संशोधन, अद्यतन और परिवर्तन करना अपेक्षित है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों को पांच वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति सर्वेक्षण और हर साल पूरक सर्वेक्षण करवाना अपेक्षित था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की (अक्तूबर 2007) कि जीआईएस मैपिंग का उपयोग करने वाली सभी संपत्तियों का एक कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस शहरी स्थानीय निकायों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक निजी एजेंसी को जीआईएस मैपिंग का उपयोग कर सभी संपत्तियों के कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार करने से संबंधित कार्य आबंटित किया (अक्तूबर 2018)। कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा किया जाना था, हालांकि, इसे नवंबर 2020 तक भी पूरा नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि जीआईएस आधारित सर्वेक्षण के अभाव में 49 शहरी स्थानीय निकाय वर्ष 2014-15 से पूर्व किए गए संपत्ति सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2019-20 के लिए संपत्ति कर का निर्धारण कर रहे थे। आगे, नमूना-जांच किया गया केवल एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, करनाल) प्रत्येक वर्ष नई संपत्ति को शामिल करने के लिए पूरक सर्वेक्षण कर रहा था। यह भी देखा गया था कि नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से कोई भी कर योग्य संपत्तियों की सही संख्या तक पहुंचने के लिए सूचना के अन्य स्रोतों जैसे पानी और बिजली के कनेक्शन डेटा, भवन योजना अनुमोदन आदि का उपयोग नहीं कर रहा था। परिणामस्वरूप, संभावित निर्धारितियों से संबंधित उचित डेटा के अभाव में संपत्ति कर आधार को इसकी अधिकतम क्षमता तक नहीं बढ़ाया जा सका।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह भी सिफारिश की कि संपत्ति कर से छूट की श्रेणियों की समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें कम किया जाना चाहिए। आगे, 14वें वित्त आयोग ने सामान्य तौर पर ऐसी छूट प्रदान नहीं करने की सिफारिश की और जहां कहीं आवश्यक हो, नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्राप्त संपत्तियां 2015-20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में कुल संपत्ति का चार निगमों में 19.68 प्रतिशत, दो नगर परिषदों में 16.97 प्रतिशत

और नौ नगरपालिकाओं में 0.69 प्रतिशत थीं। आगे, नमूना-जांच किए गए[14] 14 शहरी स्थानीय निकायों को 2019-20 के दौरान कार्यान्वित दो छूट योजनाओं के अंतर्गत ₹ 47.02 करोड़ की कुल देय राशि के विरूद्ध ₹ 14.64 करोड़ छोड़ने पड़े जो कि कुल देय राशि का 31.14 प्रतिशत है। 2015-20 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने 15 छूट योजनाएं जारी कीं। तथापि, राज्य सरकार ने छूट/अधित्याग के कारण संपत्ति कर के ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया। परिणामस्वरूप, छूट/अधित्याग के कारण शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व का महत्वपूर्ण भाग छोड़ दिया गया था।

- नमूना-जांच किए गए 14[15] शहरी स्थानीय निकायों में 31 मार्च 2020 तक संपत्ति कर का संचित बकाया ₹ 615.92 करोड़ था। जिसमें से ₹ 180.29 करोड़ राज्य सरकार की विभिन्न संपत्तियों के विरूद्ध लंबित था जो कि कुल बकाया का 29.27 प्रतिशत है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि राज्य सरकार पहले से ही सामान्य दर के आधे पर संपत्ति कर का भुगतान कर रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए पांच[16] शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में संपत्ति कर दस वर्ष से अधिक से बकाया था जबकि एक शहरी स्थानीय निकाय (अर्थात नगर निगम, करनाल) का 2010-11 से बकाया था। नमूना-जांच की गई समस्त नगरपालिकाओं ने इस संबंध में अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया। यह भी देखा गया था कि नमूना-जांच किए गए सभी शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 104/हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 94 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे थे। तथापि, नमूना-जांच किए गए केवल चार[17] शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 130/हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 94 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में, चल/अचल संपत्तियों की कुर्की एवं बिक्री आदि द्वारा देय राशि की वसूली के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहे थे।

  2015-20 की अवधि के दौरान नमूना-जांच किए गए चार नगर निगमों, दो नगर परिषदों और आठ नगरपालिकाओं के संबंध में औसत संग्रहण दक्षता क्रमश: 36.50 प्रतिशत, 42.03 प्रतिशत और 61.28 प्रतिशत है।

- हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 92 के अनुसार, केंद्र सरकार की संपत्तियों को संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। हालांकि, यह धारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में नगर निगम को सेवा प्रभारों के उद्ग्रहण से नहीं रोकती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 11वें वित्त आयोग और 13वें वित्त आयोग ने भी केंद्र और राज्य सरकार की सभी संपत्तियों, जिन्हें संपत्ति कर के भुगतान से छूट दी गई है, से सेवा प्रभारों के संग्रहण के लिए सिफारिश की। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए सभी शहरी स्थानीय निकायों ने केंद्र सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार उद्गृहीत

---

14 नगरपालिका, नारायणगढ़ द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई।

15 नगरपालिका, असंध द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई।

16 नगर निगम: अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर; नगर परिषद: थानेसर और कैथल।

17 नगर निगम: अंबाला, करनाल, यमुनानगर और नगर परिषद: थानेसर।

नहीं किया। आगे, नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से कोई भी राज्य सरकार की संपत्तियों तथा विभिन्न निजी संपत्तियों, जिन्हें संपत्ति कर से छूट प्राप्त थी, से सेवा प्रभार वसूल नहीं कर रहा था।

- सभी प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों में कराधान के लिए विशिष्ट श्रमशक्ति की कमी थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक (फरवरी 2018) के अनुसार, क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों के 30 पद, कराधान अधीक्षकों के 92 पद और कराधान निरीक्षकों के 131 पद होने चाहिए। तथापि, मानक के संबंध में जनवरी 2020 तक 24 (80 प्रतिशत) क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों, 88 (96 प्रतिशत) कराधान अधीक्षकों और 84 (64 प्रतिशत) कराधान निरीक्षकों की कमी थी।

इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 243एक्स के प्रावधानों के विपरीत संपत्ति कर, छूट आदि की दरों और संशोधन के संबंध में शक्ति राज्य सरकार के पास ही थी और शहरी स्थानीय निकायों को कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु सशक्त बनाने, ताकि हस्तांतरित कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सके, के एकमात्र उद्देश्य को खो दिया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में संपत्ति कर की एक समान दर लागू करने के लिए ऐसी शक्तियों को बरकरार रखा है। सरकार ने संपत्ति कर की दर की सिफारिश के लिए एक समिति गठित की है और समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने बकाया संपत्ति कर के संग्रहण में तेजी लाने के लिए संपत्ति कर में रिबेट/छूट प्रदान की। तथापि, बकाया संपत्ति कर एकत्र करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 130/हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 94 के अंतर्गत उल्लिखित वैकल्पिक उपाय, अर्थात् किराए की कुर्की द्वारा, भू-राजस्व के बकाया के रूप में, चल/अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री आदि, किए जाएंगे। राज्य सरकार के विभागों को बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को सेवा प्रभार वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

***सिफारिशें***

- ***13वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए संपत्ति कर बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता है।***
- ***कर योग्य संपत्ति की संख्या का पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर संपत्ति कर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।***
- ***संपत्ति कर में उछाल लाने के लिए संपत्ति कर की प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए।***
- ***संपत्ति कर में रिबेट/छूट के मामले में 14वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश का पालन किया जाना चाहिए।***
- ***राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों की संपत्तियों पर संपत्ति कर का संचय न हो और मौजूदा बकाया राशि का तत्काल भुगतान हो।***

## 7.5 जल प्रभार

राष्ट्रीय जल नीति, 2012 यह निर्धारित करती है कि पानी का मूल्य इसके कुशल उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करेगा और इसे मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 70(1)(xv) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 89(1)(ए) में शहरी स्थानीय निकाय को नगरपालिका क्षेत्र में जल की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर जल प्रभार एकत्र करने का प्रावधान है। इस प्रकार, राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में जल प्रभार तय करने में स्वायत्तता का अभाव है और यहां तक कि छूट/रियायत देने की शक्ति भी राज्य सरकार के पास निहित है।

राज्य सरकार ने पिछली बार मार्च 2011 में जल प्रभार तय/निर्धारित किया था और तब से इसे संशोधित नहीं किया गया था। आगे, जल प्रभार इस ढंग से निर्धारित नहीं किए गए थे जो जल के कुशल उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित कर सकें क्योंकि जल प्रभारों के लिए केवल दो दरें थीं अर्थात एक घरेलू उपयोग के लिए (₹ एक प्रति किलोलीटर) और दूसरी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के लिए (₹ चार प्रति किलोलीटर)। परिणामस्वरूप, मौजूदा जल प्रभार मार्च 2011 से असंशोधित रहे और दरों की संरचना ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 में परिकल्पित जल संरक्षण को प्रोत्साहित नहीं किया। आगे यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने मार्च 2012 में राज्य शहरी जल नीति अधिसूचित की, जो हालांकि जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए जल प्रभारों के आवधिक संशोधन का प्रावधान नहीं करती है। नगर निगम, करनाल के अभिलेखों की जांच में जल प्रभारों के संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- **जल प्रभारों की वसूली:** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्धारित किया (2008) कि उपयोगकर्ता प्रभार इस ढंग से तैयार किए जाने चाहिए कि वे सेवा के संचालन एवं रखरखाव की लागत के बराबर हों। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि निगम अपने नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव की लागत को जल/उपयोगकर्ता प्रभारों के उद्ग्रहण के माध्यम से पूरा करने में सक्षम नहीं था क्योंकि ये प्रभार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगर निगम, करनाल ने 2019-20 के दौरान ₹ 2.32[18] करोड़ की राशि के जल प्रभारों का निर्धारण किया जो 2019-20 के दौरान जल सेवा के संचालन एवं रखरखाव की लागत ₹ 18.70 करोड़ का 12.41 प्रतिशत है। इस गतिविधि को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नगर निगम, करनाल को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी, जबकि यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रदान की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि निगम 2019-20 के दौरान ₹ 7.43 करोड़ (₹ 5.11 करोड़ के बकाया सहित) की कुल मांग के विरूद्ध केवल ₹ 1.72 करोड़ (23 प्रतिशत) की वसूली कर सका।

[18] मार्च 2011 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जल प्रभारों के आधार पर वर्ष 2019-20 के लिए जल प्रभारों के लिए ₹ 2.90 करोड़ की मांग में जल प्रभारों के 25 प्रतिशत की दर से सीवरेज प्रभार शामिल हैं। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के लिए जल प्रभारों की मांग ₹ 2.32 करोड़ थी।

उपयोगकर्ताओं से चूक की राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी करने और अन्य उपाय करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

- **बिना मीटर वाले पानी के कनेक्शन:** उपयोगकर्ताओं द्वारा पानी की वास्तविक खपत को दर्ज करने, उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण और जल संरक्षण को पुरस्कृत करने के लिए मीटर वाले कनेक्शन पूर्व-आवश्यक हैं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगरपालिका क्षेत्र में 40,574 पानी के कनेक्शन (घरेलू: 39,360, वाणिज्यिक: 839, औद्योगिक: 353 और संस्थागत: 22) थे। जिसमें से 11,000 घरेलू कनेक्शन (28 प्रतिशत) बिना मीटर के थे। आगे, सभी घरों, वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए पानी के मीटरों का पता लगाने के लिए नगर निगम, करनाल में कोई निर्धारित तंत्र मौजूद नहीं है।

- **अनधिकृत कनेक्शन/लीकेज:** लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगर निगम, करनाल ने किसी भी अवैध/अनधिकृत कनेक्शन पर नजर रखने एवं लीकेज आदि के कारण पानी की बर्बादी को रोकने तथा अनधिकृत कनेक्शनों को काटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कोई तंत्र/प्रणाली विकसित नहीं की थी और लीकेज होने के कारण पानी की बर्बादी को रोकने के संबंध में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई थी।

- **बिल जारी करना:** नगर निगम छमाही आधार (अर्थात जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर) पर पानी के बिल जारी करता है। हालांकि, जुलाई 2018 से जून 2019 की अवधि के लिए पानी के बिल अगस्त 2019 में, जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए पानी के बिल मार्च 2020 में जारी किए गए थे और जनवरी 2020 से जून 2020 की अवधि के पानी के बिल जनवरी 2021 तक जारी नहीं किए गए थे, जो इंगित करता है कि पानी के बिल नियमित रूप से और समय पर जारी नहीं किए जा रहे थे।

- **मीटर रीडिंग:** घरेलू कनेक्शनों के लिए पानी की वास्तविक खपत का पता लगाने के लिए पानी की रीडिंग लेने और तदनुसार पानी के बिल जारी करने की कोई प्रणाली नहीं थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि घरेलू श्रेणी के उपयोगकर्ताओं को पानी के बिल वास्तविक खपत के बजाय ₹ 48 प्रति माह की न्यूनतम राशि के आधार पर जारी किए गए थे। आगे, दोषपूर्ण मीटर की पहचान करने और उसे बदलने के लिए कोई तंत्र/प्रणाली नहीं थी क्योंकि बिलिंग सॉफ्टवेयर में नई मीटर रीडिंग को दर्ज करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि नगर निगम, करनाल को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।